(1)

संख्या बी–3–1875/दस–2006–100(9)-88

प्रेषक,

डा० बी० एम० जोशी,
सचिव, वित्त (बजट),
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश
एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 23 अगस्त, 2006

विषय :–राज्य कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम।

महोदय,

वित्त (आय–व्ययक)
अनुभाग–3

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय राज्य कर्मचारियों के लिए भवन निर्माण अग्रिम की वर्तमान सुविधाओं में निम्न परिवर्तन हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1–गृह निर्माण अग्रिम की राशि

(i) भवन के निर्माण/क्रय के लिए गृह निर्माण अग्रिम की सीमा अब 50 माह का मूलवेतन या रुपये 7.50 लाख, जो भी कम हो, होगी। उसकी ब्याज सहित वसूली अधिकतम 240 मासिक किश्तों में होगी।

(ii) भवन मरम्मत/विस्तार के लिए अग्रिम की सीमा 50 माह का मूलवेतन या रुपये 1.80 लाख, जो भी कम हो, होगी। इसकी ब्याज सहित वसूली अधिकतम 120 मासिक किश्तों में होगी।

टिप्पणी :–(1) मूलवेतन का आशय दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में मूलवेतन से है।

(2) अग्रिम की वास्तविक रूप से देय राशि भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार की वास्तविक लागत से अधिक नहीं होगी।

2–प्रतिदान हेतु क्षमता :–

आवेदक राज्य कर्मचारी की प्रतिदान हेतु क्षमता निम्न आधार पर ऑकी जायेगी :–

अवशेष सेवा की अवधि	प्रतिदान हेतु क्षमता के स्लैब
(क) 20 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी	मूलवेतन का 40 प्रतिशत
(ख) 10 वर्ष के पश्चात किन्तु 20 वर्ष के पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी	मूलवेतन का 40 प्रतिशत अथवा अधिवर्षता आनुतोषिक के 65· प्रतिशत धनराशि के समायोजन के उपरान्त मूलवेतन का 40 प्रतिशत।
(ग) 10 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी	मूलवेतन का 50 प्रतिशत या अधिवर्षता आनुतोषिक के 75 प्रतिशत धनराशि के समायोजन के उपरान्त मूलवेतन का 50 प्रतिशत।

प्रतिदान हेतु क्षमता का आशय यह है कि प्रस्तावित अग्रिम की प्रतिदान हेतु मासिक किश्त की राशि ऊपर निर्धारित स्लैब की राशि से अधिक नहीं होगी। जिन मामलों मे प्रस्तर–1 के उप प्रस्तर (i) तथा (ii) के अनुसार अनुमन्य अग्रिम के आधार पर मासिक किश्त की राशि ऊपर निर्धारित स्लैब से अधिक आगणित हो रही हो, उनमें स्वीकृत किये जाने वाले अग्रिम की राशि उस सीमा तक कम कर दी जायेगी जिसके आधार पर प्रतिदान हेतु मासिक किश्त की राशि ऊपर निर्धारित स्लैब से अनाधिक हो जाय।

टिप्पणी :–

1–किसी कर्मचारी की देय प्रतिदान क्षमता निर्धारित करते समय यह भी देखा जायेगा कि स्वीकृत अग्रिम की वसूली हेतु जो किश्तों की राशि निर्धारित की जा रही हो उसे सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन से पहले से की जा रही कटौतियों के परिप्रेक्ष्य में वसूल करना सम्भव हो।

2–ग्रेच्युटी से उपरोक्तानुसार समायोजन करते हुए अग्रिम तभी स्वीकृत किया जायेगा जब कर्मचारी उक्त आशय का लिखित अनुरोध करे।

3–अधिवर्षता आनुतोषिक की गणना उस काल्पनिक मूलवेतन के आधार पर की जायेगी। जो संबंधित कर्मचारी अपनी अधिवर्षता के समय वर्तमान वेतनमान में अर्हकारी सेवा पूरी करने पर आहरित करेगा। यदि भविष्य में ग्रेच्युटी की धनराशि में पुर्नरीक्षण के फलस्वरूप कोई वृद्धि हो जाती है तो ग्रेच्युटी में ऐसे पुनरीक्षण के आधार पर पूर्व में स्वीकृत अग्रिम की धनराशि में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।

3–अधिकत्रम लागत सीमा :–

भवन निर्माण/क्रय की न्यूनतम लागत सीमा रुपये 7.50 लाख तथा अधिकतम लागत सीमा मूलवेतन का 200 गुना अथवा रुपये 18.00 लाख, जो भी कम हो, होगी किन्तु यदि प्रशासकीय विभाग किसी विशिष्ट मामले में संतुष्ट है तो वह उसके गुणावगुण के आधार पर विचार करके उक्त निर्धारित लागत सीमा में अधिकतम 25 प्रतिशत तक की वृद्धि की स्वीकृति प्रदान कर सकता है।

सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले भवनों के संबंध में उक्त लागत सीमा में भूखण्ड का मूल्य तथा विकास व्यय को सम्मिलित समझा जायेगा।

4–जिन मामलों में पूर्व में गृह निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार हेतु अग्रिम स्वीकृत किया जा चुका है और स्वीकृत अग्रिम की धनराशि आंशिक अथवा पूर्णरूप से अवमुक्त की जा चुकी है उन्हें इस शासनादेश के अन्तर्गत संशोधन/पुनरीक्षण हेतु री-ओपेन नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि पूर्व स्वीकृत तथा आंशिक अथवा पूर्णरूप से अवमुक्त अग्रिम की कोई धनराशि इन आदेशों के जारी होने के पूर्व आहरित नहीं की गई है, तो ऐसे मामलों में पूर्व निर्गत स्वीकृति आदेशों को संशोधित करते हुए इन आदेशों के अनुसार अग्रिम स्वीकृत किये जा सकेगें।

5–यह आदेश जारी होने के तिथि से प्रभावी होगें।

6–वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग-1 में तदनुसार यथा आवश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग से की जायेगी।

7–जहॉ तक अखिल भारतीय सेवाओं के राज्य संवर्ग के अधिकारियों को भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम स्वीकृत करने का प्रश्न है, चूँकि यह अधिकारी "दि आल इण्डिया सर्विसेज (हाउस बिल्डिंग एडवान्स) रूल्स, 1978" से शासित होते हैं, अतः इन्हें भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम उक्त नियमावली के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृत किया जायेगा।

भवदीय,

बी०एम०जोशी,

सचिव, वित्त (बजट)।

संख्या बी–3–1875(1)/दस–2006 तददिनांक

प्रतिलिपि निमनलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

3–विधान परिषद तथा विधान सभा सचिवालय।

4–राज्यपाल सचिवालय।

5–महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

6–वित्त (लेखा) अनुभाग-1 को वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग-1 में आवश्यक संशोधन हेतु।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार,
उप सचिव।